



जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से सेवाएँ और सूचनाएँ

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार की सेवाओं और सूचनाओं तक अब **जन सहायक हेल्प मी** ऐप के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्य बटु:

- जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से सेवाओं और सूचनाओं के लाभों तक पहुँचने के लिये मोबाइल नंबर या **परिवार पहचान-पत्र** का उपयोग करके पंजीकरण आवश्यक है।
- ऐप वभिगों द्वारा वर्गीकृत वभिन्न सरकारी सेवाओं के वषिय में जानकारी प्रदान करता है, जसिमें डायल 112, पुलसि (100), एम्बुलेंस (108) और अधिकि जैसी आपातकालीन सेवाएँ शामिल हैं।
- नागरिकि **बलि भुगतान से लेकर रोज़गार लसि्टगि और कौशल वकिस के अवसरों तक की सेवाओं** का लाभ उठा सकते हैं।
- **हरियाणा जन सहायता ऐप** के माध्यम से, नागरिकि सूखा राशन वतिरण, पका हुआ भोजन, डॉक्टर परामर्श, शक्तिषा, यात्रा पास, वत्तिय सहायता, गैस सल्लिंडर बुकगि, एम्बुलेंस सेवाओं आदि जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- ऐप के माध्यम से कसिी वयक्तद्वारा की गई कसिी भी सेवा के अनुरोध को आवश्यक कार्रवाई के लिये तुरंत संबंधति ज़लिा अधिकारियों को भेज दिया जाता है।

जनसहायक मोबाइल ऐप

- यह हरियाणा सरकार की सभी सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइनों और अन्य सूचना सेवाओं तक पहुँचने के लिये नागरिकों को एक एकल इंटरफेस प्रदान करने की एक पहल है।
- यह अंगरेज़ी और हदिी दोनों में एक **द्वभिषी मोबाइल ऐप** है।

परिवार पहचान पत्र (PPP)

- इसे अंत्योदय की भावना से 1 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था।
- यह राज्य सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जसिका उद्देश्य पात्र परिवारों को सभी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का लाभ प्रदान करना है।
- हरियाणा देश का पहला राज्य है, जसिने प्रत्येक परिवार के लिये परिवार पहचान-पत्र बनाने की योजना बनाई है। अभी तक देश या वदिश में ऐसी कोई योजना शुरू नहीं हुई है।